

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 813]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 दिसम्बर 2024— अग्रहायण 22, शक 1946

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 14 नवम्बर 2024

अधिसूचना

क्र. एफ 4-5/2021/29-2. — आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं.10) की धारा 3 सहपठित धारा 5 एवं भारत सरकार के उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय (नागरिक आपूर्ति तथा सहकारिता विभाग) द्वारा जारी एस.ओ. क्र. 681 (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

आदेश

- संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. — (1) यह आदेश छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) निरसन आदेश, 2024 कहलायेगा।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।
(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- निरसन तथा व्यावृत्ति.— छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980 को एतद्वारा निरसित किया जाता है :

परंतु, इस अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व, छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980 के प्रावधानों के उल्लंघन के फलस्वरूप सक्षम प्राधिकारी/न्यायालयों के समक्ष लंबित पंजीबद्ध प्रकरणों की सुनवाई एवं उनमें उत्तरवर्ती कार्यवाहियों पर इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., सचिव.

अटल नगर, दिनांक 14 नवम्बर 2024

क्र. एफ 4-5/2021/29-2. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14-11-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अम्बलगन पी., सचिव.

Atal Nagar, the 14th November 2024

NOTIFICATION

No. F 4-5/2021/29-2. - In exercise of the powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955) and S.O.No.681(E) issued by the Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Civil Supplies and Co-operation) of the Government of India, the State Government, hereby, makes the following Order, namely:-

ORDER

1. **Short title, extent and commencement.-** (1) This Order may be called the Chhattisgarh Motor Spirit and High Speed Diesel Oil (License and Control) Repeal Order, 2024.
(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.
(3) It shall come in to force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. **Repeal and saving.-** Chhattisgarh Motor Spirit and High Speed Diesel Oil (License and Control) Order, 1980 is hereby repealed :

Provided that, the pending registered cases, prior to the publication of this Notification before the competent authority/courts, for the violations of the provisions of the Chhattisgarh Motor Spirit and High Speed Diesel Oil (License and Control) Order, 1980 and subsequent proceedings therein shall have no effect of this Order.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANBALAGAN P., Secretary.